माननीय रणजीत सिंह से पहले जे.
सुशीला शर्मा और अन्य,-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य -प्रतिवादी
सी.डब्ल्यू.पी.नं. 2009 का 20519
22 सितंबर 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद, 226 और 311(2)-पंजाब पुलिस नियम, 193डी-नियम 16,2-हेड कांस्टेबल को एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया-अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाते हुए प्रेस नोट जारी किया-आरोप पत्र -जांच अधिकारी ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की -अनुच्छेद 3II(2) के प्रावधान (बी) के तहत शक्तियों का उपयोग करके हेड कांस्टेबल को बर्खास्त किया गया - केवल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पर 3 वार्षिक वेतन वृद्धि की सजा दी गई -आवश्यकता को समाप्त करने का कोई वैध औचित्य नहीं जांच करने का - हेड कांस्टेबल द्वारा की गई 27 साल की लंबी सेवा को बर्खास्तगी का आदेश पारित करते समय डीजीपी द्वारा किसी भी तरह से नहीं देखा गया - उच्च न्यायालय ने पहले बर्खास्तगी की सजा को रद्द कर दिया था, जबकि प्रतिवादियों को दूसरे कर्मचारी को दी गई सजा के आलोक में उस पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था - बावजूद इसके उत्तरदाताओं को सजा की मात्रा पर नए सिरे से विचार करने में विफल रहने का अवसर - याचिका स्वीकार की गई, बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया गया, जबकि हेड कांस्टेबल को बर्खास्तगी के आदेश की तारीख से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त माना गया।

माना गया कि जांच से अलग करने का निर्णय उचित नहीं था। केवल इसलिए कि दिवंगत एचसी राजा राम जांच में शामिल नहीं हुए थे, संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के प्रावधान (बी) को लागू करके जांच करने से छूट देने का वैध आधार नहीं हो सकता था। आदेश में इस बात का कोई औचित्य नहीं दिया गया है कि जांच से छूट देने का यह निर्णय क्यों लिया गया। दिवंगत एचसी राजा राम द्वारा पूछताछ में शामिल न होना ही एकमात्र कारण है, हालांकि इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन रिकॉर्ड से यह प्रतीत हो सकता है कि जांच नहीं हुई है। यदि यह जांच न करने का आधार था, तो यह कानून के तहत एक वैध कारण नहीं हो सकता क्योंकि जांच अधिकारी आसानी से एकपक्षीय जांच कर सकता था, एक प्रक्रिया जो सर्वविदित है और ऐसे मामलों में समझा जाता है।

यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी स्थिति में जांच कराना उचित नहीं था। अब लागू आदेश में भी इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि एचसी राजा राम को बर्खास्त करने की आवश्यकता क्यों थी, जबकि इसी तरह के सह-अभियुक्त को केवल वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी जा सकती थी। जैसा कि अब खुलासा किया गया है, विभागीय जांच से छूट देने के कारण हास्यास्पद पाए गए हैं। जांच कराने की आवश्यकता को समाप्त करने का कोई वैध औचित्य नहीं है।

(पैरा 17 एवं 23)

इसके अलावा, यह माना गया कि बर्खास्तगी की सजा देने के लिए प्रासंगिक विचार को ध्यान में नहीं रखा गया है। नियमावली के नियम 16.2 के जिन प्रावधानों को अनिवार्य माना गया है, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। बर्खास्तगी का आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता नंबर 1 के दिवंगत पति द्वारा की गई 27 वर्षों की लंबी सेवा को डीजीपी द्वारा किसी भी तरह से नहीं देखा गया है। दिवंगत एचसी राजा राम के पेंशन अर्जित करने के अधिकार पर नियमों के नियम 16.2 की सामग्री के आलोक में विचार किया जाना था और उसे ध्यान में रखा जाना था। प्रतिवादी इस पहलू पर विचार करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत थे और यह भी कि यदि कोई कम सजा, जैसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि होती, तो न्याय के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता था। उदाहरणों की संख्या देखी जा सकती है, हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के खंड (ए) के तहत बर्खास्तगी के मामलों से निपटने के दौरान आदेश पारित किए गए थे, जहां यह देखा गया है कि बर्खास्तगी का आदेश

पारित किया गया था। उचित रूप से लगाए जा सकने वाले दंड पर अपना दिमाग लगाए बिना आवेश को कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(पैरा 24)

आगे कहा गया, उस जांच को बिना किसी उचित कारण के रद्द कर दिया गया था। यह अपने आप में बर्खास्तगी के विवादित आदेश को उस दृष्टि से ख़राब ठहराने के लिए पर्याप्त था। बर्खास्तगी को बरकरार रखने वाला पिछला आदेश बिना कारण बताए बिना ही पारित कर दिया गया था और वह आदेश उस आदेश की वैधता को देखने के लिए पूर्व न्यायिक के रूप में कार्य नहीं करेगा जिसे अब चुनौती दी गई है। मैं इस दृष्टिकोण को इस पृष्ठभूमि में लेने के लिए राजी हूं कि पहले के अवसर पर भी, न्यायालय ने बर्खास्तगी की सजा को रद्द कर दिया था और प्रतिवादियों को एक अन्य कर्मचारी को दी गई सजा के आलोक में उस पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था, जो समान रूप से था पर ऐसे ही आरोप लगाए गए और उन्हें केवल वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई। अवसरों के बावजूद, उत्तरदाताओं ने कोई सुधार नहीं किया है और इस प्रकार, सजा की मात्रा पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उत्तरदाताओं को वापस भेजने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

(पैरा 27)

याचिकाकर्ताओं के लिए कोई नहीं.
राज्य के लिए हरीश राठी, वरिष्ठ डीएजी, हरियाणा।

रणजीत सिंह, जे.

(1) याचिकाकर्ता नंबर 1 दिवंगत हेड कांस्टेबल राजा राम की दुर्भाग्यपूर्ण विधवा है। याचिकाकर्ता संख्या 2 से 4 उनके बेटे हैं। उन सभी ने 19 सितंबर, 2001 के आदेश को रद्द करने/रद्द करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया है, जिसके तहत स्वर्गीय राजा राम को अनुच्छेद 311(2) के प्रावधान (बी) के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। भारत के संविधान का. याचिका में किया गया दावा 19 दिसंबर, 2005 को उत्तरदाताओं द्वारा पारित बाद के आदेश को रद्द करने के लिए भी है, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पहले की रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किया गया था, जिसमें उत्तरदाताओं को विचार करने का निर्देश दिया गया था। लगाई गई सज़ा की मात्रा के संबंध में याचिका। यह इस आधार पर था कि जयवीर सिंह दलाल, जो इसी तरह के पद पर थे, को तीन वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई थी, जबकि स्वर्गीय राजा राम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

(2) याचिकाकर्ता संख्या 1 के पति स्वर्गीय राजा राम 30 सितंबर, 1976 को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए थे। बाद में, उन्हें हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता नंबर 1 के मृत पति को एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिसका गठन सरकार द्वारा ऐसी एसोसिएशन बनाने की उचित अनुमति के बाद किया गया था। इस एसोसिएशन के पदाधिकारियों को चुनने के लिए चुनाव 8 नवंबर, 2000 को डीजीपी, पुलिस हरियाणा के निर्देशों के तहत आयोजित किए गए थे। यह याचिकाकर्ता नंबर 1 के दिवंगत पति द्वारा दायर एक रिट याचिका के कारण था। उन्हें भी दायर करना पड़ा था अवमानना याचिका में वित्तीय आयुक्त और सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे इस मामले में याचिकाकर्ता नंबर 1 के दिवंगत पति के प्रति द्वेष रखते थे।

(3) आरोप है कि एचसी राजा राम की ओर से अखबार में एक प्रेस नोट जारी किया गया था. जो एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जिसके लिए उन्हें एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कांस्टेबल जयवीर सिंह दलाल के साथ आरोप पत्र दायर किया गया था। लगाए गए आरोप यह थे कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ 'राज्य पुलिस प्रमुख पै पुलिस कर्मियों के हितों की उपेक्षा का आरोप' पढ़ते हुए प्रेस नोट जारी किया गया था। इसे नियम-कायदों के खिलाफ बताया गया. दिवंगत एचसी राजा राम ने 28 जनवरी,

2001 को आरोप पत्र पर अपना जवाब प्रस्तुत किया। एक डीएसपी को प्रारंभिक जांच करने के लिए विस्तृत किया गया था। यह दलील दी गई है कि उक्त डीएसपी ने उचित जांच नहीं की और दिवंगत एचसी राजा राम को किसी भी तरह से जांच में शामिल नहीं किया। जांच अधिकारी ने दिवंगत एचसी राजाराम के साथ-साथ जयवीर सिंह दलाल के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की। एचसी के खिलाफ धारा 153ए/500/501 आईपीसी के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता नंबर 1 ने दलील दी कि उसका पति पूछताछ में शामिल नहीं हो सका क्योंकि वह अस्पताल में भर्ती था। दिवंगत एचसी ने जांच कार्यवाही को चुनौती देते हुए 2001 की रिट याचिका संख्या 13266 भी दायर की थी। हालाँकि, याचिका को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। दिवंगत एचसी राजा राम द्वारा प्रदान की गई लंबी सेवा पर विचार किए बिना, उन्हें 19 सितंबर, 2009 को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, उपाध्यक्ष जयवीर सिंह दलाल को केवल तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा देकर छोड़ दिया गया था।

(4) दुर्भाग्य से, एचसी राजा राम की 19 जून, 2002 को मृत्यु हो गई। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने के लिए 2004 की रिट याचिका संख्या 7026 दायर की। 'इस अदालत ने सजा की मात्रा पर विचार करने के लिए मामले को प्रतिवादियों के पास भेज दिया था। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:-

"हमने विवादित आदेश के साथ-साथ लिखित बयान का भी अध्ययन किया है। हमारी राय है कि याचिकाकर्ता के हित में पूर्ववर्ती राजा राम स्पष्ट रूप से कदाचार के दोषी थे और इन परिस्थितियों में, उन्हें उचित रूप से दंडित किया गया था। हालाँकि, श्री सैनी ने तर्क दिया है कि सजा गलत तरीके से दी गई है। उन्होंने बताया है कि प्रेस रिपोर्ट, अनुलग्नक पी-2, राजा राम और एक जयवीर सिंह द्वारा जारी की गई थी और बाद के मामले में उत्तरदाताओं राजा राम के मामले में संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया था। बर्खास्तगी का आदेश दिया गया था। हम तदनुसार उपरोक्त तथ्यों में दंड की मात्रा के आधार पर ही प्रतिवादियों को मामला सौंपते हैं। प्रतिवादी हैं को इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए जाने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर मामले पर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया। रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।"

(5) प्रासंगिक कारकों और कानूनी स्थिति, विशेष रूप से दिवंगत एचसी राजा राम द्वारा प्रदान की गई लंबी सेवा पर विचार किए बिना, प्रतिवादी-डीजीपी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों को खारिज करते हुए बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा है। याचिकाकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अभ्यावेदन दिया था और कोई राहत पाने में असफल रहे। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने डीजीपी द्वारा पारित इस आदेश के खिलाफ फिर से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

(6) प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से पुलिस अधीक्षक, कमल द्वारा उत्तर दायर किया गया है। यह बताया गया है कि दिवंगत एचसी राजा राम पुलिस बल के सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस बल के बीच असंतोष फैलाना और उन्हें सक्षम प्राधिकारी के आदेश की सामान्य अवज्ञा का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित करना। यह खुलासा किया गया है कि प्रारंभिक जांच डीएसपी राज सिंह के माध्यम से की गई थी, जिन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि दिवंगत एचसी राजा राम ने सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना 15 जुलाई, 2001 को प्रेस नोट जारी किया था। तब दिवंगत एचसी राजा राम द्वारा कथित तौर पर किए गए घोर कदाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के कृत्यों के लिए एक नियमित विभागीय जांच का आदेश दिया गया था। जवाब में दिए गए रुख के अनुसार, दिवंगत एचसी राजा राम जांच अधिकारी के सामने पेश होने में विफल रहे। इसलिए, करनाल के पुलिस अधीक्षक को दिवंगत एचसी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके खिलाफ अपील 28 फरवरी, 2002 को खारिज कर दी गई थी। दिवंगत एचसी राजा राम के खिलाफ कार्रवाई उचित है और आग्रह किया गया है कि हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया जाए।

(7) जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो यह देखा गया कि दिवंगत एचसी राजा राम की 27 साल की सेवा के बाद मृत्यु हो गई थी। इस अदालत ने तदनुसार कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और यह भी कि याचिकाकर्ता का पति अब नहीं रहा, मामले पर कुछ सहानुभूति या करुणा के साथ विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। राज्य के वकील को तदनुसार निर्देश देने की आवश्यकता थी कि क्या दिवंगत हेड कांस्टेबल द्वारा छोड़ी गई याचिकाकर्ता-पत्नी को अपनी आजीविका का साधन प्रदान करने के लिए कुछ किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ उसके दिनांक 12 अगस्त, 2010 के आदेश में दर्ज की गईं जो इस प्रकार हैं:-

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्ती की मृत्यु हो गई थी, मृतक को सजा देने पर कुछ सहानुभूति और करुणा के साथ विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। बता दें कि श्री नेहरा को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक की 27 साल की सेवा के बाद मृत्यु हो गई थी, पत्नी को आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है।

(8) अवसर दिए जाने के बावजूद, राज्य के वकील यह निर्देश लेकर आए कि उत्तरदाता याचिकाकर्ताओं के मामले पर कोई सहानुभूतिपूर्ण विचार दिखाने को तैयार नहीं हैं। इस प्रकार, दिवंगत एचसी राजा राम द्वारा प्रदान की गई 27 वर्षों से अधिक की सेवा शून्य हो गई। इस प्रकार, मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की गई।

(9) निस्संदेह, दिवंगत हेड कांस्टेबल राजा राम को एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिसका गठन उत्तरदाताओं द्वारा दी गई उचित अनुमति के बाद किया गया था। दिवंगत हेड कांस्टेबल राजा राम और जयवीर सिंह दलाल के खिलाफ आरोप समान थे, उन्होंने कथित तौर पर एक प्रेस बयान जारी किया था, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न है। इस बयान के अवलोकन से पता चलता है कि दिवंगत एचसी राजा राम पर यह बयान देने का आरोप है कि पुलिस प्रमुख द्वारा किए गए व्यवहार के कारण असंतोष पैदा हुआ है। बयान में यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए चुनाव नहीं कराया गया, जिसके लिए प्रेस को यह बयान जारी करने के लिए अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। दिवंगत एचसी राजा राम पर असंतोष फैलाने का प्रयास करके और उन्हें सामान्य अवज्ञा का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित करके पुलिस बल के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। प्रारंभिक जांच के आधार पर, दिवंगत एचसी राजा राम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के प्रावधान (बी) को लागू करके सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। आक्षेपित आदेश में जांच कराने की आवश्यकता से छूट देने का कोई औचित्य नहीं बताया गया है। कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार. अधिकारियों का दायित्व है कि वे कारण बताएं कि जांच कराना व्यावहारिक क्यों नहीं था और संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधान (बी) को लागू करना।

(10) इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर एसोसिएशन के लिए चुनाव कराने के लिए डीजीपी की आवश्यकता के लिए एक प्रेस बयान जारी करने से प्रथम दृष्टया असंतोष फैलाने का आरोप या अनुशासनहीनता का कार्य नहीं हो सकता है। अनुलग्नकपी-1 में यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि दिवंगत एचसी राजा राम ने पुलिस को सक्षम प्राधिकारी के आदेश की सामान्य अवज्ञा का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह तथ्य कि दिवंगत एचसी राजा राम प्रारंभिक जांच में भाग नहीं ले सके, उनकी मृत्यु से अच्छी तरह से प्रमाणित है, जो एक बाद की घटना है। याचिका में दलील दी गई है कि दिवंगत एचसी राजा राम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इस तथ्य को जांच अधिकारी ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश पारित करते समय, स्वर्गीय एचसी राजा राम की 27 वर्षों की लंबी सेवा पर कोई विचार नहीं किया गया था।

(11) पंजाब पुलिस नियमों (संक्षेप में "नियम") के नियम 16.2 के प्रावधानों की व्याख्या करते समय इस अदालत द्वारा लगातार यह माना गया है कि बर्खास्तगी केवल कदाचार के गंभीर कृत्यों के लिए या निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव के रूप में दी जाती है जो असुधार्यता साबित करती है। और

पुलिस सेवा के लिए पूर्ण अयोग्यता। ऐसी सजा देते समय, अपराधी की सेवा की अवधि और पेंशन के उसके दावे को ध्यान में रखना होगा। जहां दंड देने वाला प्राधिकारी लंबी सेवा अवधि, सेवा के पिछले रिकॉर्ड तक जीवित नहीं दिखता है, तो इससे नियमावली के नियम 16.2 में निहित नियम का उल्लंघन उजागर होता है। बल्कि इस नियम को स्वभावतः अनिवार्य माना गया है। यहां **रणधीर सिंह बनाम डिप्टी पुलिस महानिरीक्षक, अम्बाला रेंज, अम्बाला कैंट और दूसरा** के मामले का संदर्भ दिया जा सकता है। इस मामले में, दंड प्राधिकारी ने बर्खास्तगी की सजा देते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि याचिकाकर्ता ने 10 साल से अधिक की सेवा प्रदान की है जो उसे पेंशन लाभ का हकदार बनाती है। यह माना जाता है कि दंड प्राधिकारी के लिए नियमों के नियम 16.2 के तहत सेवा से बर्खास्तगी की सजा देने से पहले किसी कर्मचारी की सेवा की अवधि और पेंशन के उसके दावे पर विचार करना अनिवार्य होगा। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, **कांस्टेबल शिव चरण बनाम पुलिस अधीक्षक, गुड़गांव जिला गुड़गांव** (2) **कांस्टेबल ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य (3)** पर भरोसा किया गया। इस में न्यायालय ने देखा था कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी एक कर्मचारी के संबंध में सेवा की अवधि और पेंशन के अधिकार को ध्यान में रखने के लिए बाध्य था।

(12) आदेश में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि दंड देने वाला प्राधिकारी नियम की उपर्युक्त आवश्यकता के प्रति जीवित था। यह नियमों के नियम 16.2 के पूर्ण उल्लंघन को दर्शाने वाला एक स्पष्ट मामला है। बर्खास्तगी का विवादित आदेश किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि दंड देने वाला प्राधिकारी नियमों के नियम 16.2 की आवश्यकता के प्रति सचेत था या नहीं। जहां तक मामले के इस पहलू का संबंध है, आक्षेपित आदेश पूरी तरह से मौन है। यह स्थिति तब भी है जब इस अदालत द्वारा मामले को सजा की मात्रा के मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया गया था।

(13) इसके अलावा, दिवंगत एचसी राजा राम के खिलाफ की गई कार्रवाई के आदेश में कुछ अन्य गंभीर खामियां भी देखी गई हैं।

(14) इस अदालत ने एचसी राजा राम और एक अन्य कर्मचारी के साथ किए गए अलग-अलग व्यवहार को देखते हुए मामले को मुख्य रूप से उत्तरदाताओं को भेज दिया था। इस बात का कोई कारण सामने नहीं आया है कि इन्हीं आरोपों के लिए दिवंगत एचसी राजा राम के साथ आरोपी कांस्टेबल जयवीर सिंह दलाल को केवल वेतन वृद्धि जब्त करने की सजा देकर क्यों छोड़ दिया गया और एचसी राजा राम ने उनकी लंबी सेवा अवधि को नजरअंदाज करते हुए भी इतना कठोर व्यवहार क्यों किया। इतना ही नहीं, आदेश में कोई कारण बताए बिना कि इस मामले में जांच कराना व्यावहारिक क्यों नहीं था, संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत प्रावधान (बी) लागू करके बर्खास्तगी का आदेश पारित कर दिया गया है। अधिकारी इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य थे कि क्या पद से हटाने या पद में कटौती जैसी कम सज़ा पर्याप्त होती, खासकर तब जब एक समान आरोपी कर्मचारी को कम दंड के साथ छोड़ दिया गया था।

(15) यहां तक कि इस बात का भी कोई कारण सामने नहीं आया कि दिवंगत एचसी राजा राम को बर्खास्त करने का निर्देश देते समय जांच कराना उचित क्यों नहीं था। जांच कराने की आवश्यकता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यहां संदर्भ **जसवन्त सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (4),** का दिया जा सकता है, जिसमें यह देखा गया है कि विभागीय जांच से छूट देने का निर्णय केवल संबंधित प्राधिकारी के आईपीएस दीक्षित और संबंधित प्राधिकारी की संतुष्टि पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। कानून की अदालत में पूछताछ की जाती है। यह दिखाने के लिए आदेश का समर्थन करना अधिकारी का दायित्व है कि संतुष्टि कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है और यह संबंधित अधिकारी की सनक या सनक का परिणाम नहीं है। **भारत संघ बनाम तुलसी रेन पटेल (5)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के खंड (बी) को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब प्राधिकारी संतुष्ट हो। उनके समक्ष यह सामग्री रखी गई कि विभागीय जांच कराना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है। पूर्व का संदर्भ दिया जा सकता है। **सब इंस्पेक्टर पूरन चंद बनाम पंजाब राज्य, (6)** जहां जांच उचित रूप से व्यावहारिक नहीं होने के कारण समाप्त कर दी गई

थी। रिकॉर्डिंग करते समय किसी भी सामग्री का कोई संदर्भ नहीं दिया गया, संतुष्टि हुई कि दर्ज किए गए कारणों से पूछताछ संभव नहीं है। दण्ड के आदेश को दोषपूर्ण माना गया। **लालजी दास बनाम पंजाब राज्य और अन्य (7)** मामले में यह माना गया था कि जांच को हल्के में या मनमाने ढंग से या गुप्त उद्देश्य से या पूछताछ से बचने के लिए या विभाग का मामला कमजोर है और विफल होने की संभावना है, से दूर नहीं किया जा सकता है। इस मामले में समाप्ति के आदेश को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता के साथ रद्द कर दिया गया। **दर्शन जीत सिंह ढींडसा बनाम पंजाब राज्य (8)** में, इस अदालत की डिवीजन बेंच ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच को माफ़ी के आधार पर समाप्त कर दिया गया था। आगे यह माना गया कि प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत को केवल बहानों से दूर नहीं किया जा सकता है।

(16) जैसा कि **लालजी दास, पूर्व-कांस्टेबल बनाम पंजाब राज्य और अन्य (9)** में कहा गया है, एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ दूसरे प्रावधान के खंड (बी) के तहत कार्रवाई करने से पहले शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए और यह मौजूद होना चाहिए ऐसी स्थिति जो अनुच्छेद 311(2) द्वारा अपेक्षित जांच को मौजूदा स्थिति पर उचित दृष्टिकोण रखने वाले एक उचित व्यक्ति की राय में उचित रूप से व्यावहारिक नहीं बनाती है।

(17) जैसा कि ऊपर देखा गया है, कानून के संदर्भ में जांच करने पर, एक दृष्टिकोण संभव है कि जांच से अलग होने का निर्णय उचित नहीं था। केवल इसलिए कि दिवंगत एचसी राजा राम जांच में शामिल नहीं हुए थे, संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के प्रावधान (बी) को लागू करके जांच करने से छूट देने का वैध आधार नहीं हो सकता था। आदेश में इस बात का कोई औचित्य नहीं दिया गया है कि जांच से छूट देने का यह निर्णय क्यों लिया गया। दिवंगत एचसी राजा राम द्वारा पूछताछ में शामिल न होना ही एकमात्र कारण है, हालांकि इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन रिकॉर्ड से यह प्रतीत हो सकता है कि जांच नहीं हुई है। यदि यह जांच से छूट देने का आधार था, तो यह कानून के तहत एक वैध कारण नहीं हो सकता है क्योंकि जांच अधिकारी आसानी से एक पक्षीय जांच कर सकता था, एक प्रक्रिया जो ऐसे मामलों में अच्छी तरह से जानी और समझी जाती है। यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी स्थिति में जांच कराना उचित नहीं था। कुछ इसी तरह की स्थिति में, इस अदालत ने 2009 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4875 **(पूर्व कांस्टेबल नरिंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य)** में 10 सितंबर, 2009 को निर्णय दिया था कि: -

"यदि कोई दोषी कर्मचारी पूछताछ में शामिल होने से इनकार करता है या नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि पूछताछ करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है। एक पक्षीय जांच करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सर्वविदित है और यदि दोषी अधिकारी उचित नोटिस और सेवा के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो एक पक्षीय जांच करने के लिए हमेशा खुला रहता है, जो ऐसी स्थिति और घटना में एक कानूनी रास्ता है। यह कहना कि जांच कराना संभव नहीं था और अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत प्रावधान लागू करना कानूनी रूप से उचित नहीं होगा। जैसा कि ऊपर देखा गया है, बड़ी संख्या में निर्णयों में, यह लगातार देखा गया है कि जांच से छूट देने का निर्णय प्राधिकरण के आईपीएस दीक्षित पर निर्भर नहीं करता है। संबंधित अधिकारियों को वस्तुनिष्ठ तथ्यों के आधार पर अदालतों को संतुष्ट करना आवश्यक है कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। ऐसी संतुष्टि कुछ स्वतंत्र सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्यों में यह नहीं कहा जा सकता है कि विभागीय जांच से छूट देने और अनुच्छेद 311 (2) (बी) को लागू करके याचिकाकर्ताओं को खारिज करने के लिए संबंधित प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि किसी भी सामग्री से मजबूत है। जैसा कि **तुलसी राम पटेल** के मामले (सुप्रा) में देखा गया है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह जांच को हल्के में या मनमाने ढंग से या गुप्त उद्देश्यों से या केवल जांच से बचने के लिए टाल देगा। हो सकता है कि विभाग का केस बहुत मजबूत हो और याचिकाकर्ताओं पर लगे आरोप गंभीर हों. यह अकेले उन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है जो किसी कर्मचारी को संवैधानिक रूप से गारंटी दी गई हैं। एक बार जब जांच न करने का निर्णय ले लिया

गया, तो इसे इस आधार पर उचित ठहराया जाना आवश्यक है कि ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के महत्व को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ, एआईआर 1987 सुप्रीम कोर्ट 2386** के मामले में अच्छी तरह से देखा था। वर्तमान मामले में कारण पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। अत: इस पृष्ठभूमि में पारित बर्खास्तगी आदेश कायम नहीं रखा जा सकता। इस मामले में उचित सोच-विचार के बिना समानता को ख़त्म कर दिया गया है।"

(18) इस प्रकार, विवादित आदेश इस संक्षिप्त आधार पर टिकाऊ नहीं हो सकता है।

(19) हालाँकि, एक कठिनाई है जिसे इस पाठ्यक्रम को अपनाते समय संबोधित करना पड़ सकता है। इस अदालत की डिवीजन बेंच द्वारा पारित पहले के आदेश में मामले को उत्तरदाताओं को वापस भेजते हुए कहा गया था कि याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से कदाचार का दोषी था और उसे उचित रूप से दंडित किया गया था। इस प्रकार, यह देखा जाना चाहिए कि क्या इस स्तर पर विवादित आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

(20) मैंने इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से विचार किया है। मेरे विचार में, डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश विवादित आदेश की वैधता या वैधता पर विचार करने के रास्ते में नहीं आ सकता है। सबसे पहले, डिवीजन बेंच ने दी गई सजा को बरकरार नहीं रखा था और नए फैसले लेने के लिए मामले को प्रतिवादियों को वापस भेज दिया था। दूसरे, डिवीजन बेंच ने कानून की स्थापित स्थिति की पृष्ठभूमि में जांच को खत्म करने के मुद्दे पर विचार किए बिना ही आदेश पारित कर दिया था। अब चुनौती पारित किए गए नए आदेश को दी गई है जो अभी भी या तो कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा या उन कारणों को पूरा नहीं करेगा जिनके लिए मामला नया आदेश पारित करने के लिए प्रतिवादियों को भेजा गया था।

(21) आइए अब देखें कि रिट याचिका में पारित आदेश की कानूनी स्थिति क्या है।

(22) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मणिपुर राज्य बनाम थिंगुजम ब्रोजेन मीतेई** (10) के मामले में, विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने से निपटने के दौरान देखा है कि जब विशेष अनुमति याचिका को गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना खारिज कर दिया जाता है। एक गैर-बोलने वाले आदेश द्वारा आक्षेपित निर्णय जिसमें बर्खास्तगी का कोई कारण नहीं है, यह उस निर्णय की शुद्धता की स्वीकृति के बराबर नहीं है जिसके खिलाफ अपील की जानी है। बिना किसी और बात के बर्खास्तगी के इस तरह के गैर-बोलने वाले आदेश के प्रभाव के बारे में बात करते हुए, अदालत ने कहा कि इसका मतलब केवल यह है कि अदालत ने केवल यह निर्णय लिया है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां विशेष अनुमति याचिका दी जानी चाहिए। इस तरह के आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के रूप में नहीं माना गया था। इस संबंध में **मेसर्स रूप डायमंड्स एंड ओआरएस बनाम भारत संघ और अन्य (11) स्वर्गीय नवाब सर मीर उस्मान अली खान बनाम धन कर आयुक्त, हैदराबाद, (12) और सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ, (13)** का संदर्भ दिया गया है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि याचिका को खारिज करना एक मिसाल या पुनर्निर्णय के रूप में काम नहीं करेगा, जब किसी याचिका को उसके समर्थन में कोई कारण बताए बिना खारिज कर दिया गया हो। इस प्रकार, मैं यह विचार करने के लिए इच्छुक हूं कि उस संबंध में कारणों का खुलासा किए बिना पहले की रिट याचिका को खारिज करना, विशेष रूप से तब जब अदालत ने सजा के आदेश में हस्तक्षेप किया था, वह न्यायिक के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(23) अब आक्षेपित आदेश में भी इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि एचसी राजा राम को बर्खास्त करने की आवश्यकता क्यों थी, जबकि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त को केवल वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी जा सकती थी। जैसा कि अब खुलासा किया गया है, विभागीय जांच से छूट देने के कारण हास्यास्पद पाए गए हैं। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, जांच कराने की आवश्यकता को समाप्त करने का कोई वैध औचित्य नहीं है।

(24) बर्खास्तगी की सजा लगाने के लिए प्रासंगिक विचार को ध्यान में नहीं रखा गया है। नियमावली के नियम 16.2 के जिन प्रावधानों को अनिवार्य माना गया है, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। बर्खास्तगी का आदेश पारित करते समय डीजीपी द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 के दिवंगत पति द्वारा की गई 27 वर्षों की लंबी सेवा को किसी भी तरह से नहीं देखा गया है। दिवंगत एचसी राजा राम के पेंशन अर्जित करने के अधिकार पर नियमों के नियम 16.2 की सामग्री के आलोक में विचार किया जाना था और उसे ध्यान में रखा जाना था। प्रतिवादी इस पहलू पर विचार करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत थे और यह भी कि यदि कोई कम सजा, जैसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि होती, तो इस मामले में न्याय के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता था। उदाहरणों की संख्या देखी जा सकती है, हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के खंड (ए) के तहत बर्खास्तगी के मामलों से निपटने के दौरान आदेश पारित किए गए थे, जहां यह देखा गया है कि बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था। उचित रूप से लगाए जा सकने वाले दंड पर अपना दिमाग लगाए बिना आवेश को कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। **ओम प्रकाश बनाम निदेशक डाक सेवाएं (डाक और तार विभाग), पंजाब सर्कल, अंबाला और अन्य, (14)** में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना है कि एक सरकारी कर्मचारी की विभागीय सजा दोषी ठहराए जाने का आवश्यक और स्वचालित परिणाम नहीं है। एक आपराधिक आरोप और सक्षम प्राधिकारी को मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करना होगा और फिर सरकारी कर्मचारी पर उसके मूल आचरण के लिए जुर्माना लगाने के प्रश्न के संबंध में ऐसा आदेश देना होगा, जिसके कारण उसे दोषी ठहराया जा सकता है। इसी तरह का अनुपात **मंडल कार्मिक अधिकारी, दक्षिणी रेलवे बनाम टी.आर. चेल्लप्पन (15) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी.के. भास्कर, (16) राजिंदर सिंह बनाम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा और अन्य, (17) और कुलवंत सिंह बनाम उप जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, गुरदासपुर, (18)** के मामलों में निर्णय से सामने आएगा।

(26) सामान्य तौर पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, टिप्पणियों के आलोक में सजा की मात्रा पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को प्रतिवादी-अधिकारियों को वापस भेजा जा सकता था। चूँकि मामला वापस भेजे जाने के बावजूद अधिकारी कानूनी स्थिति का पालन करने में लगातार विफल रहे हैं, मेरा विचार है कि नया आदेश पारित करने के लिए मामले को प्रतिवादियों के पास वापस भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाता कारण देखने और यहां तक कि याचिकाकर्ताओं के मामले पर सहानुभूति के साथ विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ता नंबर 1 के दिवंगत पति अब नहीं रहे। याचिकाकर्ता नंबर 1, अब जीवन में खुद को बनाए रखने के लिए आजीविका के साधन की तलाश कर रही है। आक्षेपित आदेश में बताई गई कमजोरियाँ सीधे तौर पर उत्तरदाताओं को घूरेंगी और बर्खास्तगी की सजा के आक्षेपित आदेश को उस आधार पर ख़राब कर देंगी।

(27) यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस मामले में जांच बिना किसी उचित कारण के रद्द कर दी गई थी। यह अपने आप में बर्खास्तगी के विवादित आदेश को उस दृष्टि से ख़राब ठहराने के लिए पर्याप्त था। मैंने पहले ही देखा है कि बर्खास्तगी को बरकरार रखने वाला पिछला आदेश बिना कारण बताए बिना ही पारित कर दिया गया था और वह आदेश उस आदेश की वैधता को देखने के लिए पूर्व न्यायिक के रूप में कार्य नहीं करेगा जिसे अब चुनौती दी गई है। मैं इस दृष्टिकोण को इस पृष्ठभूमि में लेने के लिए राजी हूं कि पहले भी अवसर पर, अदालत ने प्रतिवादियों को किसी अन्य कर्मचारी को दी गई सजा के आलोक में उस पर फिर से विचार करने के निर्देश के साथ बर्खास्तगी की सजा को रद्द कर दिया था। जिस पर समान रूप से समान आरोप लगाए गए थे और उसे केवल वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई थी। अवसरों के बावजूद, उत्तरदाताओं ने कोई सुधार नहीं किया है और इस प्रकार, सजा की मात्रा पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उत्तरदाताओं को वापस भेजने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

(28) उचित कदम यह होता कि मामले को नए सिरे से जांच करने के लिए उत्तरदाताओं के पास वापस भेज दिया जाता क्योंकि जांच बिना किसी कानूनी या वैध आधार के समाप्त कर दी गई थी। याचिकाकर्ता नंबर 1 एचसी राजा राम के दिवंगत पति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु को देखते हुए यह कोर्स संभव नहीं है। आरोपों की प्रकृति और सह-अभियुक्तों के साथ किए गए व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में, दिवंगत एचसी राजा राम की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा और ऐसा आदेश देना कानूनी रूप से उचित होगा। मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और आगे उत्पीड़न से बचने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है. असहाय याचिकाकर्ता को, ताकि वह अब अपने दिवंगत पति को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त माने जाने के बाद पारिवारिक पेंशन और अन्य पेंशन संबंधी लाभों के अनुदान पर जीवित रह सके। मामले को उत्तरदाताओं को वापस भेजने का वैकल्पिक तरीका केवल इस विधवा और बच्चों की पीड़ा को बढ़ाएगा, जिन्होंने काफी पीड़ा झेली है और जाहिर तौर पर उत्तरदाताओं के हाथों उन्हें उचित उपचार से वंचित कर दिया गया है।

(29) इसलिए, वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और दिवंगत एचसी राजा राम की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, दिवंगत एचसी राजा राम को उनकी बर्खास्तगी के आदेश की तारीख से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त माना जाएगा। एचसी राजा राम की याचिकाकर्ता-पत्नी को इस आदेश के कारण पारिवारिक पेंशन और उन्हें मिलने वाले अन्य पेंशन लाभ की हकदार माना जाता है। आगे निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता-पत्नी को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर परिणामी राहत और लाभ जारी किए जाएं। याचिकाकर्ताओं को 25.000 रुपये की अनुकरणीय लागत का भी हकदार माना जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भावना गेरा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कुरूक्षेत्र, हरियाणा